190

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0, ग्वालियर

प्रकरण कमांक /2014 निगरानी R-9(n)-III/14

शेख बहाउद्दीन पुत्र शेख मनुब्बर खान
निवासी— पृथ्वीपुर तहसील पृथ्वीपुर
जिला टीकमगढ, म0प्र0 ......आवेदक

बनाम

1— गोमती बेवा भग्गू सौंर निवासी- पृथ्वीपुर
तहसील पृथ्वीपुर, जिला—टीकमगढ

2— म0प्र0शासन द्वारा कलेक्टर महोदय
जिला— टीकमगढ, म0प्र0.... अनावेदकगण

B.K. Manour
13/03/14.

13-3-14

Fee 13-3-14
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू—राजस्व संहिता, विरूद्व आदेश दिनांक 03/01/13 पारित द्वारा माननीय कलेक्टर महोदय जिला — टीकमगढ म0प्र0 जो प्रकरण कमांक कमांक 59/पुर्नविलोकन/2011 —12 में पारित कर आवेदक के हक में विवादित संपत्ति का किया गया अंतरण शून्यवत घोषित किया है। (एनेक्जर पी/1)

श्रीमान् जी,

आवेदक की निगरानी सविनय निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत है:—

संक्षिप्त तथ्य

1— यह कि, अनावेदिका कमांक 1 द्वारा उसके स्वामित्व की भूमि खसरा नं.1197 में हिस्सा अनुसार रक्वा 1.581 है0 भूमि स्थित ग्राम चिकटागुलेंदा को विक्रय करने की अनुमति बावत् एक आवेदन पत्र माननीय कलेक्टर महोदय जिला टीकमगढ के समक्ष प्रस्तुत किया जो प्रकरण कमांक 10/अ—21 /09—010 पर पंजीबद्व किया गया । श्रीमान् कलेक्टर महोदय द्वारा दिनांक 01/04/2010 को उपरोक्त प्रकरण में आदेश पारित कर अनावेदिका कमांक 1 के हिस्से की भूमि रक्वा 1.581 है0 में से मात्र 0.581 है0 भूमि विक्रय करने की अनुमति निर्धारित गाइड लाइन के आधार पर किये जाने की अनुमति प्रदान की। आदेश दिनांक 01/04/2010 की प्रति निगरानी के साथ संलग्न की जाकर **एनेक्जर पी/2** से चिन्हित की गयी है।

2— यह कि, श्रीमान् कलेक्टर महोदय द्वारा विक्रय की अनुमति बावत् पारित आदेश दिनांक 01/04/2010 के पश्चात् अनावेदिका कमाक 1 के स्वामित्व की भूमि मे से रक्वा 0.581 है0 को आवेदक द्वारा वजर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांकी 03/05/2010 को बाजारु मूल्य 1,77,000/—रुपये (एक लाख सत्तर हजार रुपये) अनावेदिका कमांक 1 को अदा कर क्रय की । इस प्रकार आवेदक द्वारा विधिवत् माननीय कलेक्टर महोदय जिला टीकमगढ द्वारा प्रदत्त अनुमति के आधार पर विवादित संपत्ति क्रय की और संपूर्ण प्रतिफल अदा किया है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की प्रति निगरानी के साथ संलग्न की जाकर **एनेक्जर पी/3** से चिन्हित की गयी है।

3— यह कि, माननीय कलेक्टर महोदय जिला टीकमगढ अनावेदक **कमाक** 2 द्वारा पुर्नविलोकन किये जाने हेतु दिनांक 15/12/2011 को माननीय **राजस्व मण्डल** म0/

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति ओदश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-900-तीन/2014 जिला टीकमगढ़

शेख बहाउद्दीन विरूद्ध गोमती

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के नाम
05-03-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह निगरानी कलेक्टर जिला टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 59/पुर्नविलोकन/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 03-01-2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. पक्षकार दिनांक 03-05-2019 को आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । 05/3/19 (आर.के.जैन) सदस्य	